भारत सरकार

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1111

उत्तर देने की तारीख : 29-07-2015

केरल को निधियां का संवितरण

1111. श्री के॰ के॰ रागेशः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान केरल सरकार द्वारा संवर्धित संस्थाओं के लिए राज्य सरकार को संवितरित कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा उक्त योजनाओं के अन्तर्गत जारी की गई निधियां में से केरल सरकार/केरल द्वारा संवर्धित संस्थाओं द्वारा वास्तव में उपयोग की गई धनराशि का योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि् के दौरान उक्त योजनाओं के अन्तर्गत केरल सरकार/केरल सरकार द्वारा संवर्धित संस्थाओं को जारी की गई निधियां व्यपगत हो गई थीं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री मनसुखभाई धांजीभाई वसावा)

(क) तथा (ख) : गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनों के तहत इस मंत्रालय द्वारा केरल राज्य सरकार तथा केरल में अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को निर्मुक्त राशि तथा उनके द्वारा उपयोग की गई राशि के ब्यौरे **अनुलग्नक** में दिए गए हैं।

(ग) : ऐसा कोई मामला इस मंत्रालय के नोटिस में नहीं आया है।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*\*

**अनुलग्नक**

**दिनांक 29-07-2015 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1111 के उत्तर के भाग (क) तथा (ख) में संदर्भित अनुलग्नक**

**(लाख रुपये में)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **योजना/कार्यक्रम का नाम** | **2012-13** | **2013-14** | **2014-15** |
| **निर्मुक्त**  | **संसूचित उपयोग** | **निर्मुक्त**  | **संसूचित उपयोग** | **निर्मुक्त**  | **संसूचित उपयोग** |
| 1 | जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी के लिए एससीए) | 549.00 | 549.00 | 549.00 | 549.00 | 530.00 | 0.00 |
| 2 | भारत के संविधान का अनुच्छेद 275(1)  | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 445.44 | 748.94 | 0.00 |
| 3 | अ.ज.जा. के लड़कों तथा लड़कियों के लिए छात्रावास | 0.00 | 0.00 | 553.45 | 553.45 | 1349.63 | 0.00 |
| 4 | जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में आश्रम विद्यालयों की स्थापना | 1025.02 | 1025.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | अ.ज.जा. के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 329.45 | 329.45 | 625.53 | 625.53 | 647.00 | 0.00 |
| 6 | अ.ज.जा. के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | जनजातीय अनुसंधान संस्थान  | 44.93 | 39.38 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 |
| 8. | लगु वन उत्पाद प्रचालनों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 206.77 | 0.00 |
| 9 | विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 10 | अ.ज.जा. के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान | 62.64 | 62.64 | 70.23 | 70.23 | 99.07 | 99.07 |
| 11 | अ.ज.जा. के लिए कोंचिग | 13.95 | 13.95 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 |